4-6-19

वकील उभय पक्ष उप०। प्रार्थी पांचीलाल ने एक प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत कर दावा वादी withdraw करने का आवेदन
किये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रतिवादीगण को वादी
आपत्ति नहीं है। अतः दावा वादी withdraw किये जाने पर
कारण खारिज किया जाता है। वकील प्रतिवादी ने कथन किया
कि अन्य प्रकरण सं. 139/15 विचाराधीन / पांचीलाल जोहेर
प्रकरण के साथ चल रही है, को पुनः नम्बर पर लिया जावे।
पत्रावली का अवलोकन किया है। अतः प्र.सं. 139/15 विचाराधीन
पांचीलाल को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
सह पत्रावली उक्त प्रकरण के साथ संलग्न हो पत्रावली पांचीलाल
सूचना होकर नकल से दाखिल हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)